(4960)
05/3/14
Vinod 4:10 P.m.

संख्या- 406ई / 23-11-2014

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) लखनऊ के पत्र संख्या-1125 / प्रा0वि0-37 / 2012-13 / उपशा / लखनऊ, दिनांक 25-10-2013 के द्वारा प्रदेश में राज्य राजमार्गों, बाईपास एवं अन्य मुख्य मार्गों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता से विकसित करने हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम" पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत 86 मार्गो **(सूची संलग्न है)** को उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए "उ0प्र0 राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

3- सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से विकसित किये जाने वाले मार्गो पर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से निजी विकासकर्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ होने तक उनका अनुरक्षण / मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथोचित् व्यवस्था बनाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4- (1) उक्त कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 86 मार्गो के कार्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत उपशा द्वारा सम्पादित किये जायेगें, जिसमें राज्य राजमार्ग, बाईपास एवं अन्य मुख्य मार्ग सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 58 मार्गों का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पॉच चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा तथा राज्य के प्रमुख शहरों में 28 बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु चयनित 58 विभागीय मार्गों में से 20 मार्गो को 04 लेन कैरिजवे तथा 38 मार्गों को 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के अनुसार विकसित किया जायेगा।

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

(3) प्रस्तावित बाईपास का निर्माण यथासम्भव विद्यमान मार्गो का उपयोग करते हुये मुख्यतया ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत किया जायेगा।

5- किसी भी परियोजना पर किसी वर्ष विशेष में कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी।

6- उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं बाईपास निर्माण हेतु ग्रीन फील्ड कार्य में आने वाले भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, 'यूटीलिटीज जैसे-टेलीफोन के खम्भे, विद्युत के खम्भे, ट्रांसफार्मर, हैण्डपम्प इत्यादि की शिफ्टिंग, वृक्षों का पातन, पुनर्वृक्षारोपण आदि तथा यथा आवश्यकता 20 प्रतिशत तक वी0जी0एफ0 हेतु ससमय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध प्लान परिव्यय में प्राविधान कराया जायेगा।

(2)(क) प्रश्नगत परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

(ख) यदि परियोजना में अवस्थित भूमि वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ग) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

(घ) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष सरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ड.) यदि कोई क्षेत्र ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तब वन भूमि, गैरवन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति की अलग से आवश्यकता है, तदोंपरान्त ही प्रभागीय वनाधिकारी पातन अनुज्ञा जारी कर सकते है।

(3) यदि उक्त हेतु भूमि अधिग्रहीत की जाएगी तो भारत सरकार के नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि राजकीय भूमि आदि का मामला आता है तो राजस्व विभाग के तद्विषयक अधिनियम/नियम/शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

(4) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

7- कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे),
प्रमुख सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

संख्या- (1)/23-11-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/न्याय (रिट) अनुभाग-6/गोपन अनुभाग-1/अवस्थापना विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

3- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।

4- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार शुक्ला),
विशेष सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम
(U.P. State Highway Development Programme)

भाग–1

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

फेज–1

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1	दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग (एस0एच0–57)	206	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
2	बरेली–अल्मोड़ा मार्ग (एस0एच0–57)	54	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
3	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग(एस0एच0–5ए)	115	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
4.	मेरठ–करनाल मार्ग (एस0एच0–82)	88	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
5.	लखनऊ–हरदोई–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–25)	162	4–लेन

फेज–2

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1.	अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80)	39	4–लेन
2.	एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85)	53	4–लेन
3.	ताड़ीघाट–बारा मार्ग (एस0एच0–99)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
4.	मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग (एस0एच0–59)	53	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
5.	बलरामपुर–गोण्डा–जरवल मार्ग (एस0एच0–1ए)	88	2–लेन + 4–लेन
6.	अकबरपुर–जौनपुर मिर्जापुर–दुद्धी मार्ग	207	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर + 4 लेन
7.	चन्दौसी–बदायूँ–फर्रुखाबाद मार्ग(एस0एच0–43)	164.17	4–लेन
8.	गढ़–मेरठ–बागपत–सोनीपत मार्ग(एस0एच0–14)	90.42	4–लेन

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

फेज–3

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1	बहराइच–गोण्डा–फैजाबाद मार्ग (एस0एच0–30)	160	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
2	सीतापुर–लखीमपुर–पलिया–दुधवा मार्ग (एस0एच0–90 + एस0एच0–21)	120	4–लेन
3	विढ़मगंज–कोन–कोटा–चोपन मार्ग(ओ0डी0आर0)	60	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
4	महाराजगंज–निचलौल–ठूठीबाड़ी मार्ग	42	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर

फेज–4

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1.	मुरादाबाद–धामपुर–बिजनौर(एस0एच0–49)	110	4–लेन
2.	बलिया–मउ–आजमगढ़ (एस0एच0–34)	100	4–लेन
3.	देवरिया–गोरखपुर (एस0एच0–1)	45	4–लेन

फेज–5

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1.	मोहनलालगंज मौरावां उन्नाव मार्ग (अ0जि0मा0–52सी)	69.74	4–लेन
2.	बिजनौर–छजलैट मार्ग (एस0एच0–76)	57.3	4–लेन
3.	आगरा–वाह–कचौराघाट मार्ग (एस0एच0–62)	68.2	4–लेन
4.	लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग (एस0एच0–40)	142.49	4–लेन
5.	पानीपत–खटीमा मार्ग (एस0एच0–12)	146.98	4–लेन
6.	पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46)	83.66	4–लेन

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

7.	अलीगढ़–टप्पल मार्ग (एस0 एच0–22ए)	65.24	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
8.	बिजनौर–गजरौला मार्ग (एस0एच0–51)	66	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
9.	इलाहाबाद–गोरखपुर से दोहरीघाट तक मार्ग (एस0एच0–7 एवं एस0एच0–66)	165.45	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
10.	देवरिया–बलिया वाया–सलेमपुर मार्ग (एस0एच0–1)	92	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
11.	शिकोहाबाद–भगावन–मैनपुरी मार्ग (एस0एच0–084)	61.8	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
12.	फतेहपुर–बबेरू–अतर्रा– नरैनी–करतल मार्ग (एस0एच0–0071)	116.58	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
13.	बनी–मोहनलालगंज–गोसाईगंज मार्ग (एम0डी0 आर0–89सी)	33.49	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
14.	हमीरपुर–राठ मार्ग (एस0एच0–42)	153.15	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
15.	रामपुर–स्वार बाजपुर मार्ग (एम0डी0आर0–49डब्लू)	40.4	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
16.	मवानां–किठौर–हापुड़ मार्ग (एम0डी0आर0–152डब्लू)	48.35	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
17.	बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग (एम0डी0आर0–058)	57.7	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
18.	बिलराया–पनवाड़ी (सीतापुर–पनवाड़ी सेक्शन) मार्ग (एस0एच0–0021)	100	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
19.	आजमगढ़–सराय रानी–जौनपुर मार्ग(न्यू पोर्शन) (एस0एच0–0066ए)	83.68	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
20.	इटौंजा–मोहान–कुम्हरावा–कुर्सी–देवा–चिनहट मार्ग (एम0डी0आर0–88सी)	51.35	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

21.	हामिदपुर–सिकन्दराबाद–गुलावटी–कुचेसर मार्ग (एस0एच0–100)	102.8	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
22.	दोस्तपुर–अकबरपुर–जलालपुर–न्योरी मार्ग (एम0डी0आर0–155ई)	56.5	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
23.	लखनऊ–कुर्सी–महमूदाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–77सी)	54.1	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
24.	फर्रूखाबाद–कायमगंज मार्ग (एम0डी0आर0–110)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
25.	बांदा–बबेरू–कमासीन–राजापुर मार्ग (एस0एच0–92)	88.8	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
26.	सहारनपुर–नकुड़–गंगोह–थानाभवन–मुजफ्फरनगर मार्ग (एम0डी0आर0–147 + एम0डी0आर010 डब्लू)	96.43	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
27.	सैना–इरादतनगर–शमशाबाद–फतेहाबाद (एम0डी0आर0–130 डब्लू)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
28.	डुमरियागंज–डेबरूआ मार्ग (एस0एच0–75)	41.43	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
29.	मुहम्दाबाद–मधुबन–बेल्थरा मार्ग (एम0डी0आर0–94ई)	57.84	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
30.	लखीमपुर से मैगलगंज मार्ग(एम0डी0आर0–14सी)	53.4	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
31.	सीसईया–धौरहरा–निघासन–पलिया–पूरनपुर मार्ग (एस0एच0–101)	119.01	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
32.	हुसैनगंज–हथिगंवा–इरावा–अलीपुर–जूट मार्ग (एम0डी0आर0–81 सी)	48.29	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
33.	जालौन–भिन्ड मार्ग (एस0एच0–70)	30.68	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

34.	गोला–शांहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93)	58.62	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
35.	बाबतपुर–चौबेपुर–जमालपुर मार्ग (एस0एच0–98)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
36.	सीतापुर–कस्ता मार्ग (एम0डी0आर0–76 सी)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
37.	मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102 डब्लू)	40.27	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
38.	चन्दौली–सकलडीहा–सैदपुर मार्ग (एस0एच0–69)	31	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर

भाग–2

राज्य के प्रमुख शहरों में बाईपास का निर्माण

क्रमांक	मार्ग / नगर का नाम	अनुमानित लम्बाई (किमी0)
1	कानपुर (बाईपास)	50
2	वाराणसी (बाईपास का शेष आधा)	40
3	मेरठ (बाईपास का शेष आधा)	40
4	इलाहाबाद (बाईपास का शेष आधा)	40
5	अलीगढ़ (बाईपास)	36
6	गोरखपुर (बाईपास का शेष आधा)	30
7	झांसी (बाईपास का शेष आधा)	34
8	शाहजहांपुर (बाईपास का शेष आधा)	20
9	फर्रूखाबाद (बाईपास)	14
10	मऊ (बाईपास)	12

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

11	मीरजापुर (बाईपास)	24
12	बहराइच (बाईपास)	12
13	जौनपुर (बाईपास)	12
14	बदांयू (बाईपास)	14
15	बांदा (बाईपास)	18
16	पीलीभीत (बाईपास)	16
17	लखीमपुर खीरी (बाईपास)	16
18	हरदोई (बाईपास)	16
19	गोण्डा (बाईपास)	14
20	मैनपुरी (बाईपास)	14
21	देवरिया (बाईपास)	16
22	बलिया (बाईपास)	18
23	आजमगढ़ (बाईपास)	16
24	कासगंज (बाईपास)	12
25	बिजनौर (बाईपास)	14
26	महोबा (बाईपास)	14
27	चित्रकूट धाम (बाईपास)	14
28	महराजगंज (बाईपास)	14

छाया प्रति प्रमाणित

सुनील कुमार सिंह
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ